

छत्तीसगढ़ शासन,  
जल संसाधन विभाग,  
मंत्रालय,  
महानदी भवन, अटल नगर  
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्र. २३१४ / एफ-२-२१/३१ / एस-२/२०२०,  
प्रति,

अटल नगर, दिनांक २६ / ०६ / २०२०

मुख्य अभियंता,  
महानदी परियोजना,  
जल संसाधन विभाग,  
रायपुर (छ.ग.)

**विषय :-** धमतरी जिले के विकासखण्ड-धमतरी की बांध सुरक्षा ड्रिप फेस-II अन्तर्गत रविशंकर सागर परियोजना (गंगरेल) के बांध के ऊपर पेरापेट वाल की ऊँचाई बढ़ाने व सेडल डेम में पेरापेट वाल निर्माण कार्य तथा ढूब क्षेत्र के चारों ओर बाउड्री पीलर लगाने का कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति।

**संदर्भ :-** आपका पत्र क्र.-17588 / W / 2020 / 3707, दिनांक 09.06.2020.

—००—

राज्य शासन एतद् द्वारा धमतरी जिले के विकासखण्ड-धमतरी की बांध सुरक्षा ड्रिप फेस-II अन्तर्गत रविशंकर सागर परियोजना (गंगरेल) के बांध के ऊपर पेरापेट वाल की ऊँचाई बढ़ाने व सेडल डेम में पेरापेट वाल निर्माण कार्य तथा ढूब क्षेत्र के चारों ओर बाउड्री पीलर लगाने का कार्य हेतु लागत राशि रु. 213.39 लाख (रुपये दो करोड़ तेरह लाख उनचालीस हजार) मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

2. योजना का कार्य बांध सुरक्षा ड्रिप फेस-II अन्तर्गत प्रस्तावित है।
3. कार्य विभाग नियमावली की कांडिका 2.006 के नीचे दिये गये नोट ३(बी) एवं ३(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे तथा कार्य पूर्ण होने के उपरांत योजना का पूर्णता प्रमाण-पत्र शासन को दिया जावे।
4. छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग-एक के नियम-१० के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो।
5. योजना पर व्यय बजट शीर्ष मांग संख्या-२३ जल संसाधन विभाग, लेखा शीर्ष-४७००-वृहद् सिंचाई पर पूंजी परिव्यय, (6354) बांध पुर्नवास एवं सुधार परियोजना फेस-II, #२६-वृहद् निर्माण कार्य ००५-बांध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय होगा।
6. छ.ग.शासन, वित्त एवं योजना विभाग मंत्रालय के वित्त निर्देश २५/२०१२ अनुसार गठित समिति की बैठक दिनांक १९.०६.२०२० द्वारा सहमति प्राप्त है।
7. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। लागत वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।
8. निर्माण कार्य की लागत में मितव्ययता को सुनिश्चित किया जावे।
9. संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता निर्माण कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

छत्तीसगढ़ के दायरपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार


19/06/2020  
( याकूब खेलस )  
संयुक्त सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
जल संसाधन विभाग

पृ.क्र. 2315 / एफ-2-21/31 / एस-2/2020,

अटल नगर, दिनांक 26/06/2020

प्रतिलिपि :-

- 1 अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
- 2 निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (निवास), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
- 3 विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
- 4 अपर मुख्य सचिव (वित्त), छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
- 5 सचिव, जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
- 6 महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
- 7 महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
- 8 कलेक्टर, जिला-धमतरी (छ.ग.)।
- 9 संचालक जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर।
- 10 प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, अटल नगर।
- 11 उप संचालक, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ कक्ष क्र.-एम 4-22 अटल नगर।
- 12 अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस.यूनिट स्टेट डाटा सेंटर, सिविल लाईन्स, रायपुर (छ.ग.)।
- 13 अधीक्षण अभियंता, महानदी परियोजना बांध मण्डल रुद्री, जिला-धमतरी (छ.ग.)।
- 14 कार्यपालन अभियंता, जल प्रबंध संभाग रुद्री, जिला-धमतरी (छ.ग.)।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 15 आदेश फोल्डर।



26/06/2020  
संयुक्त सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
जल संसाधन विभाग